नागरिकता संशोधन कानून (CAA) एवं नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) मजदूरवर्ग एवं मेहनतकशों के खिलाफ मौजूदा पूंजीवाद का भयावह हमला है.

इनके खिलाफ जारी जन-आंदोलनों में अधिक से अधिक संख्या में मजदूर-मेहनतकशों की भागीदारी समय की मांग है.

साथियों,

मजदूर आन्दोलन से जुड़े कई साथी सवाल उठा रहें है कि CAA, NRC के खिलाफ जारी राष्ट्रव्यापी आन्दोलन से हमारे आन्दोलन का क्या सम्बन्ध है? आज तमाम सरकारी उद्दोगों को निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है, साथ ही बड़े पैमाने पर मजदूरों की छटनी हो रही है, BSNL के मजदूरों को कई महीनों से मजदूरी नहीं मिल रही है, जिसके परिणाम स्वरुप कई मजदूरों ने आत्म-हत्या की है, मजदूरी में कटौती की जा रही है,काम के घंटे बढायें जा रहे हैं, उनसे जबरदस्ती ओवरटाइम कराया जा रहा है, बेकारों की तादाद में लगातार वृद्धि हो रही है, गरीबी भूखमरी में इजाफा हो रहा है. **ऐसी स्थिति में जब हम पूंजीवाद के इस हमले का जवाब ठीक से नहीं दे पा रहें हैं, हम CAA, NRC के खिलाफ लड़ाई में क्यों शामिल हों? कमसे कम नागरिकता कानून के खिलाफ जारी आन्दोलन में शामिल होना हमारी प्राथमिकता तो नहीं हो सकती!** क्या यह सवाल सही है ? मसले को समझने के लिए हमे समझना होगा कि मजदूर एवं मेहनतकशों पर पूंजी के इस भयाबह हमले के दौरान ही CAA, NRC क्यों लाया जा रहा है? मजदूरवर्ग पर शासक वर्ग का यह हमला, एवं ठीक उसी वक्त नागरिक संशोधन कानून जबरन लागू करने का प्रयास कहीं परस्पर अंतर्संबंधित तो नहीं है?

पूंजीवाद आज विश्व-स्तर पर गहरे संकट की घडी से गुजर रही है.सदियों से असाधारण तकनिकी विकास की मंजिलों से गुजरते हुए पूंजीवाद आज इस मंजिल पर पहुंची है जहाँ स्वचालित-मशीनों (एवं रोबोटों) के अत्यधिक प्रयोगों के फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में मजदूर बेकार होते जा रहें हैं.एक ओर बेकारों की यह विशाल फौज पूंजीवादी व्यवस्था के लिए सस्ता श्रम का स्त्रोत है, लेकिन दूसरी ओर बेकारों का यही फौज पूंजीवादी व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है.इस खतरे से निपटने के लिए विभिन्न देशों के पूंजीवादी शासन विभिन्न तरकीबें ढूँढ रही है. हम सब को पता है कि 1935 के 15 सितम्बर को नाज़ी जर्मनी ने एक नागरिकता कानून लाया था जिसके तहत घोषित किया गया था कि " कोई भी यहूदी जर्मन राष्ट्र का नागरिक नहीं हो सकता. उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा एवं वह सरकारी पदों पर नहीं रह सकता."

भारत का मौजूदा पूंजीवादी शासकवर्ग जर्मन नाज़ीवाद से प्रेरणा लेते हुए बड़ी संख्या में इस देश के वासिंदों को नागरिकता से वंचित करने की योजना बना रहा है. नागरिकता से बहिष्कृत यह संख्या जितनी बड़ी होगी उतना

ही संकटग्रस्त पूंजीवाद के लिए फायदेमंद साबित होगा. क्योंकि, करोड़ों की तादाद में इस "अतिरिक्त जनसंख्या" को न्यूनतम खर्चे में केवलमात्र जिन्दा रखने की आवश्यकता होगी, ताकि उन्हें यातना शिविरों में डालकर बिन-मजूरी गुलामों की तरह काम लिया जा सकेगा. कहने की आवश्यकता नहीं कि यातना शिबिरों (Detention Centers) में भेजे गए अधिकांश लोगों की इन शिबिरों में ही मौत होगी एवं इस तरह इनकी भविष्य की पीढ़ियों को काम देने की समस्या से पूंजीवाद को निजात मिलेगा. अगर कानून के जरिये इस 'अतिरिक्त जनसंख्या' से छुटकारा मिल जाये एवं साथ ही नागरिकता दी गई लोगों का शासक पार्टी के पक्ष में एक वोट बैंक बन जाये तो मौजूदा शासन के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है? इसके लिए शासन को सिर्फ यह साबित करना जरूरी होगा कि जिस जनसंख्या को नागरिकता से वंचित करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है, वे सब दरअसल गैर-कानूनी नागरिक हैं. इसी सांचे में CAA, NPR एवं NRC पूरी तरह फिट बैठता है. इस तरह नागरिकता से वंचित लोगों को अन्य देशों में भेजने के बजाय हमेशा के लिए इन यातना शिबिरों में रखा जायेगा, जब तक वे एवं उनकी अजात पीढ़ीयां समाप्त न हो जाये.

हम में से जो लोग यह मानकर चल रहें हैं कि CAA, NRC, NPR के निशाने पर सिर्फ मुस्लिम समुदाय हैं, तो वे भ्रम में जी रहे हैं. यह सच है कि यह कानून विशेष रूप से मुस्लिमों को निशाना बनाने के इरादे से बनाया गया है लेकिन जैसा कि हमने असम में देखा, यद्दपि NRC में 19 लाख लोग गैर-नागरिक घोषित किये गए थे, इनमे से सिर्फ 6 लाख मुस्लिम एवं करीब 13 लाख गैर-मुस्लिम निकले जिनमे अधिकतर लोग हिन्दू थे. इसतरह यह कानून सम्पूर्ण मजदूरवर्ग एवं मेहनतकशों के खिलाफ में है. वजह यह है कि संकटग्रस्त पूंजीवाद की "अतिरिक्त जनसंख्या" से छुटकारा पाने की इस योजना के लिए आवश्यक संख्या केवल मात्र मुस्लिम समुदाय से नहीं मिल सकती. इसलिए निशाने पर वे सभी लोग हैं जो आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से कमजोर हैं- अर्थात दलित, आदिवासी, भूमिहीन किसान एवं मजदूरों की एक बड़ी तादाद. आज के अत्यधिक रूप से विकसित पूंजीवादी तकनीकी उत्पादन व्यवस्था में एक छोटी समूह को ही काम मिल सकता है एवं इनमे से अधिकतर लोग समाज के उपरी हिस्से के सुविधाभोगी लोग ही हैं.

खुशी की बात यह है कि नागरिक संशोधन कानून एवं नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर के खिलाफ सम्पूर्ण भारत में जन-आंदोलनों का सैलाब आया है. पुलिस व सरकार की ओर से भयावह हिंसा, दमन के बावजूद यह आन्दोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है. देश के कई शहरों में इन आन्दोलनों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं. इसके अलावा इन आन्दोलनों में बड़ी संख्या में छात्र भी शामिल हैं.दिल्ली की शाहीनबाग एवं अन्य ठिकानों की महिलाएं (जिनमे से अधिकांश मजदूर वर्ग से हैं) पिछले 75 दिनों से तमाम उकसावों के बावजूद लगातार शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रही हैं. छात्रों के आलावा इन्हें समाज के अन्य तबकों से भी बड़े पैमाने पर समर्थन मिला है. उदहारण के लिए प्रदर्शनकारी महिलाओं के लिए सिख गरीब किसानों के द्वारा लंगर की व्यवस्था. इन प्रदर्शनों की खासियत यह है कि यह किसी राजनीतिक पार्टी अथवा किसी व्यक्ति के नेतृत्व में

नहीं, बल्कि महिलाओं की सामूहिक नेतृत्व में हो रहा है. ठीक इसी तरह की आन्दोलनें दिल्ली के ही कई अन्य ठिकानों पर एवं साथ ही साथ कोलकाता, लखनऊ, पटना, गया, भोपाल, रायपुर, नागपुर, इलाहबाद, मुंबई, जयपुर, चेन्नई जैसे शहरों में भी जारी है. इन आन्दोलनों से हम मजदूरों को यह सीख लेने की आवश्यकता है कि हम भी CAA, NRC एवं अन्य मजदूर वर्गीय मसलों पर हमारी लढाई को किसी राजनीतिक पार्टी अथवा यूनियन के नेतृत्व में नहीं बल्कि **मजदूरों की समिति** बनाकर सामूहिक रूप से लड़ें. **आज मजदूर आन्दोलन में एक नए किस्म की पहल, एक नए किस्म के संघर्ष को विकसित करने की आवश्यकता है जो मजदूरों के सामूहिक नेतृत्व में हो**. *इसके लिए नए किस्म के मजदूर संगठनों को खड़ा करने की आवश्यकता है जो* ***मजदूर-जनवाद*** *पर आधारित हो.तभी हम पूंजीवाद के खिलाफ हमारे संघर्ष को एक नई मंजिल की ओर ले जा सकेंगे- अर्थात पूंजीवाद की समाप्ति एवं एक नए मानव समाज की स्थापना, जिसमे तमाम किस्म के शोषण,गुलामी,उत्पीडन एवं दमन का अंत होगा, स्त्री-पुरुष के बीच मानवीय सम्बन्ध प्रस्थापित होंगे, जातिप्रथा, नस्लवाद का अंत होगा एवं प्रकृति के साथ एक सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध कायम होगा.*

CAA तथा NRC धार्मिक भेदभाव पर आधारित है, इसलिए यह निश्चित रूप से भारत के संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कानून इंसानियत के मूलभूत उसूलों के भी खिलाफ है.लोग एक देश से **दू**सरे देश में केवलमात्र धार्मिक उत्पीडन के वजह से नहीं जाते, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम के तलाश में जाते हैं.इसी उद्देश से पडोसी देशों के लोग भारत आते हैं और भारत के लोग अमेरिका, यूरोप एवं अरब देशों में जाते हैं. **अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना हर इंसान का मूलभूत अधिकार है और एवं इसी रूप में इन प्रयासों को मान्यता मिलनी चाहिए. हम मजदूर मेहनतकशों ने अपने खून पसीने से हजारों सालों तक इस धरती को सींचा है, इसलिए हमारा यह हक़ बनता है कि हम दुनिया के किसी भी प्रान्त में अपना घर बसायें.**

आज CAA, NRC के खिलाफ सम्पूर्ण देश में जारी संघर्ष मजदूर मेहनतकशों का अपना संघर्ष है. लगातार फैलती हुई इस आन्दोलन के तेवर को देखते हुए यह उम्मीद की जा सकती है कि आगे आनेवाली लम्बे समय तक यह आन्दोलन जारी रहेगा एवं इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम होंगे. हिन्दुत्ववादी फासीवाद के खिलाफ जारी इस जन-आन्दोलन में अधिक से अधिक संख्या में हमारी भागीदारी समय की मांग है.

परिवर्तन की दिशा, नागपुर **निजी वितरण के लिए**

.